# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

**चौदहवां सत्र**

**<u>समाचार भाग-1</u>**

**संख्याः 124**

**शनिवार, 26 फरवरी, 2022/7 फाल्गुन, 1943(शक्)**

## <u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

**समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

### व्यवस्था का प्रश्न

**माननीय अध्यक्ष द्वारा** प्रश्नकाल आरम्भ होने की घोषणा करने से पहले ही **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष** ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अपनी बात रखनी शुरू कर दी कि दिनांक 22 फरवरी, 2022 को विधायक श्री अनिरुद्ध सिंह जी जब चण्डीगढ़ से अपनी गाड़ी में वापिस शिमला आ रहे थे तो एक पुलिस सब-इंस्पैक्टर ने ओल्ड बस स्टैंड के समीप उनसे दुर्व्यवहार किया तथा पूर्व में भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार माननीय मुख्य मंत्री तथा श्रीमती आशा कुमारी जी के साथ हुआ है। अतः इस मामले को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के तहत विधान सभा की विशेषाधिकार हनन समिति को भेजा जाए और ऐसे पुलिस कर्मचारी या ऑफिसर के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से निलंबित किया जाए तथा इस पर की गई कार्रवाई से सदन को भी अवगत करवाया जाए।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए कहा-

"**माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध सिंह** ने पिछले कल इस बारे में पुलिस अधीक्षक, शिमला को एक लिखित शिकायत दी है। पुलिस अधीक्षक, शिमला ने इस शिकायत की आगामी जांच को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) को सौंपा है जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा आरोपी पुलिस कर्मचारी को जांच की अवधि के दौरान पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। इस मामले में विभागीय जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में अगर फिर भी कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो उस पर विचार किया जाएगा।"

**अध्यक्ष महोदय** ने जानकारी देते हुए बताया कि-

"दिनांक 25 फरवरी, 2022 को माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी की ओर से सायं 7.00 बजे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-76 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का मामला प्राप्त हुआ है जिसमें सब इंस्पैक्टर, पवन बन्याल द्वारा माननीय सदस्य के साथ ओल्ड बस स्टैंड के समीप ट्रैफिक नियंत्रण करते हुए दुर्व्यवहार किया गया। मैंने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है तथा मामले को आगामी कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक को प्रेषित कर दिया है तथा इस मामले को विशेषाधिकार हनन समिति को भी रेफर किया जा रहा है।"

## 1. प्रश्नोत्तर

### (I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4532 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4615, 4616, 4617, 4618 तथा 4619 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्याः 4620 से 4647 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

## (II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1733, 1782 (स्थगित) तथा 1872 से 1889 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

# 2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-168 के अन्तर्गत अधिसूचना 61/2017-राज्य कर संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-168 के अन्तर्गत अधिसूचना 62/2017-राज्य कर संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-168 के अन्तर्गत अधिसूचना 63/2017-राज्य कर संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-128 के अन्तर्गत अधिसूचना 64/2017-राज्य कर संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-23 के अन्तर्गत अधिसूचना 65/2017-राज्य कर संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I

दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-148 के अन्तर्गत अधिसूचना 66/2017-राज्य कर संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-164 के अन्तर्गत अधिसूचना 70/2017-राज्य कर संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-43/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2017 को प्रकाशित; और

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं(समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)-ए(3)-3/2019 दिनांक 19.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 31.01.2022 को प्रकाशित।

(2) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री** ने जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 14) के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021 की प्रति सभा पटल पर रखी।

## 3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2021-2022-प्रस्तुतीकरण एवं पारण।

**श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य** ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में प्राप्त दस्तावेज उन्हें अभी-अभी प्राप्त हुआ है जिस कारण इसका अध्ययन करने का समय नहीं मिला जबकि नियमानुसार इसे 24 घण्टे पहले सर्कुलेट किया जाना चाहिए था।

**माननीय अध्यक्ष** ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि "विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और ऐसे गोपनीय विधेयक जो कार्यसूची में नहीं रखे जाते हैं, सदस्यों को पहले प्रतियां बांटे बिना ही पुरःस्थपित किए जा सकते हैं"।

तत्पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

**प्रस्ताव स्वीकार हुआ।**

**मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।**

## 4. विधायी कार्य

### (I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अनुमति दी गई।**

**श्री जय राम ठाकुर**, मुख्य **मंत्री** ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक-1) पुरःस्थापित किया।

### (II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार हुआ।**

**हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक-1) पारित हुआ।**

## मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

**माननीय मुख्य मंत्री** ने यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों में से कुछेक छात्रों को दो विमानों के माध्यम से सुरक्षित वापिस लाये जाने बारे वक्तव्य दिया।

## 4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लियाः-

1. **श्रीमती आशा कुमारी**

   **मुख्य मंत्री** ने **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या** द्वारा गौ-सदनों तथा एस.पी.ओज.के बारे में जिक्र करने पर स्थिति स्पष्ट की।

   **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री** ने **माननीय सदस्या** द्वारा सरसों के तेल के संदर्भ में टिप्पणी करने पर स्थिति स्पष्ट की।

   **श्रीमती आशा कुमारी** द्वारा चर्चा जारी-

**(1.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)**

**(भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)**

धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी-

2. **श्री इन्द्र सिंह**

**(02.20 बजे अपराह्न श्री बलबीर सिंह, सभापति पदासीन हुए।)**

**3. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर**

**श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, सदस्य** द्वारा यह जिक्र करने पर कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम/सभा में हिमाचल पावर पॉलिसी को रिलीज करने वाला था तथा उन्होंने कुल्लू में वेंटिलेटर्ज का विषय भी उठाया। इन दोनों बिन्दुओं पर माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

कुल्लू के डोहलूनाला में NHAI द्वारा स्थापित टोल बैरियर पर गुंडागर्दी बारे टिप्पणी करने पर शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। इसी दौरान श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, सदस्य तथा शिक्षा मंत्री द्वारा आपस में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप भी लगाये गए जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई।

हिम ऊर्जा की लाइट्स की कीमतों पर टिप्पणी करने पर बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

कृषि सिंचाई योजनाओं के बारे में जिक्र करने पर कि जब से यह सरकार आई है, योजनाएं बन्द पड़ी हैं तथा 20 गौवंश की ठण्ड के कारण मृत्यु हो गई, बारे मसला उठाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

**4. श्री रमेश चंद ध्वाला**

**(04.07 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)**

**5. श्री राम लाल ठाकुर**

## <u>उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्ताव</u>

**उद्योग मंत्री** ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि माननीय सदन की अनुमति हो तो दिनांक 28.02.2022 को आयोजित सदन की बैठक महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्थगित की जाए तथा दिनांक 02 फरवरी, 2022 को निर्धारित सदन की बैठक 10:00 बजे प्रातः आयोजित कर ली जाए व निर्धारित प्रश्नकाल को भी स्थगित किया जाए यानी दिनांक 28.02.2022 व 02.03.2022 के लिए निर्धारित प्रश्नों को दिनांक 02.03.2022 को सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए।

**श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष** ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने जानकारी दी कि अधिकांश माननीय सदस्यों की ओर से इस बात के लिए बार-बार आग्रह आ रहा था क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत मान्यता व श्रद्धा है। अतः मैं भी इस प्रस्ताव के साथ पूर्णतया सहमत हूं।

**प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष** ने सूचना दी कि-

"**माननीय उद्योग मंत्री** द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सदन के नेता, श्री जय राम ठाकुर तथा नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री और समूचे माननीय सदस्यों की सहमति के बाद 28 फरवरी, 2022 को विधान सभा सत्र की बैठक को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्थगित किया जाता है तथा दिनांक 02 मार्च, 2022 को निर्धारित सदन की बैठक प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। अतः समय का सभी माननीय सदस्य ध्यान रखें। दिनांक 28 फरवरी, 2022 और 02 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित प्रश्नों को दिनांक 02 मार्च, 2022 को सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाएगा तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और माननीय मुख्य मंत्री जी 02 मार्च, 2022 को चर्चा का लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न उत्तर देंगे।"

**(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)**

6. **श्री बिक्रम सिंह, माननीय उद्योग मंत्री**
7. **श्री आशीष बुटेल**
8. **श्री जीत राम कटवाल**

   **(05.50 बजे अपराह्न श्री बलबीर सिंह, सभापति पदासीन हुए।)**

   **(06.00 बजे सदन की बैठक 7.00 बजे तक बढ़ाई गई।**

9. **डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल**
10. **श्री होशयार सिंह**

    **(06.40 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)**

11. श्री हीरा लाल

(07.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 7.10 बजे तक बढ़ाई गई।

12. श्री मुलख राज

07.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 02 मार्च, 2022 के 10.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

---